अनुदान संख्या 9 – नागर विमानन मंत्रालय
GRANT No. 9 - MINISTRY OF CIVIL AVIATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	781,34,00	868,58,00	827,28,52	-41,29,48
पूरक	Supplementary	87,24,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				38,57,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1920,70,00	1920,71,00	1836,83,64	-83,87,36
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				83,29,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹4129.28 लाख) जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 और मार्च 2018 में प्राप्त किए गए ₹8724.00 लाख के पूरक अनुदान का 47 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹4129.28 lakhs) constituted 47 percent of the supplementary grants of ₹8724.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय– आर्थिक सेवाएं	Secretariat- Economic Services				
मू.	O.	23055.00			
पू.	S.	545.00	3162.00	3112.70	-49.30
पु.	R.	-20438.00			
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"				
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्प संख्यकों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	20000.00			
पू.	S.	2501.00	21066.00	21063.11	-2.89
पु.	R.	-1435.00			
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"				
नागर विमानन	Civil Aviation				
मू.	O.	33920.00			
पू.	S.	5678.00	57635.00	57416.57	-218.43
पु.	R.	18037.00			

(I) ₹20011.20 लाख का प्रावधान चार शीर्षो के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इनमें से ₹20000.00 लाख मुख्य शीर्ष "2225" – "अल्पसंख्यकों का कल्याण – हज चार्टर के संचालन के लिए सहायिकी – हज चार्टर" के अंतर्गत स्कीम का पुनर्गठन होने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹20011.20 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these ₹20000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2225" - "Welfare of Minorities - Subsidy for Operation of Haj Charters- Haj Charter" - due to restructuring of the scheme.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा:–

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each: -

(का) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – नागर विमानन मंत्रालय” – ₹23035.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹545.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹23580.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹20482.01 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – रिक्त पदों को भरे न जाने एवं “विमानन क्षेत्र में कौशल विकास” स्कीम के मूर्त रूप न लिए जाने के कारण हुई।

(A) Major Head “3451” - “Secretariat - Ministry of Civil Aviation” - the original provision of ₹23035.00 lakhs was augmented to ₹23580.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹545.00 lakhs. However, there was a saving of ₹20482.01 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and non-materialization of scheme “Skill development in aviation sector”.

(खा) मुख्य शीर्ष “3053” – “सामान्य” –

(B) Major Head “3053” - “General” -

(क) “निदेशन और प्रशासन – विदेशी प्रशिक्षण के माध्यम से डीजीसीए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अपग्रेडेशन” – ₹30.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹20.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹50.00 लाख कर दिया गया। तथापि ₹28.81 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मूर्त रूप दिए जाने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) “Direction and Administration - Upgradation of DGCA officers and Staff through foreign training” - the original provision of ₹30.00 lakhs was augmented to ₹50.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹20.00 lakhs. However, there was a saving of ₹28.81 lakhs (including supplementary grant) - due to materlization of less training programmes and economy measures.

(ख) “प्रशिक्षण और शिक्षा – प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग निदेशालय” – ₹256.60 लाख के मूल प्रावधान को ₹23.27 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹279.87 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹87.07 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – कम पेशेवरों की नियुक्ति किए जाने और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सिविल एवं विद्युतीय कार्य का स्थगन किए जाने के कारण हुआ।

(b) “Training and Education - Directorate of Training and Licencing” - the original provision of ₹256.60 lakhs was augmented to ₹279.87 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹23.27 lakhs. However, there was a saving of ₹87.07 lakhs (including supplementary grant) - due to engagement of less professionals and postponement of Civil and Electrical works by Central Public Works Department.

(III) मुख्य शीर्ष “3053” – “सामान्य – निदेशन और प्रशासन” के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(III) Supplementary grant obtained under Major Head “3053” - “General - Direction and Administration” - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each: -

(का) “नागर विमानन महानिदेशक” – ₹8817.30 लाख के मूल प्रावधान को ₹2389.26 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹11206.56 लाख कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों को भरे न जाने, अधिप्राप्ति प्रस्तावों को मूर्त रूप देने

(A) “Director General Civil Aviation” - the original provision of ₹8817.30 lakhs was augmented to ₹11206.56 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2389.26 lakhs which, however, remained

में विलंब होने और सेवा प्रदाताओं, विमान सेवाओं एवं विदेश मंत्रालयों से दावों की प्राप्ति न होने के कारण ₹449.03 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

unutilised to the extent of ₹449.03 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, delay in materialization of procurement proposals and non-receipt of claims from service providers, Airlines and Ministry of External Affairs.

(खा) "स्वदेशी प्रशिक्षण के माध्यम से डीजीसीए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अपग्रेडेशन" — ₹90.50 लाख के मूल प्रावधान को ₹48.50 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹139.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम को मूर्त रूप दिए जाने एवं किफायत के उपाय के किए जाने के कारण ₹26.09 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Upgradation of DGCA officers and staff through domestic training" - the original provision of ₹90.50 lakhs was augmented to ₹139.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹48.50 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹26.09 lakhs - due to materlization of less training programmes and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष "3053" के अतंर्गत "सामान्य — अन्य व्यय" — बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः—

(IV) Under Major Head "3053" - "General - Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(का) "नागर विमानन सुरक्षा" — ₹2620.25 लाख की बचत (₹4480.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, ई—गवर्नेंस तथा बायोमेट्रिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होने, नए क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना न होने एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Civil Aviation Security" - saving of ₹2620.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4480.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, delay in implementation of e-Governance and Biometric projects, non-establishment of new regional offices and requirement of less funds by Central Public Works Department.

(खा) "राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान" — ₹843.00 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

(B) "Grants-in aid to National Aviation University" - saving of ₹843.00 lakhs(against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹157.44 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान की 16 प्रतिशत और 64 प्रतिशत थी।

(V) Under two heads savings of ₹157.44 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 16 percent and 64 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹40581.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹7979.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः—

2. The above savings were partly (₹40581.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹7979.00 lakhs - under the following major heads: -

(I) मुख्य शीर्ष "2225" – "अल्पसंख्यकों का कल्याण – विशेष संचालन के लिए सहायिकी – विशेष संचालन" – ₹18565.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹18562.11 लाख था।

(I) Major Head "2225" - "Welfare of Minorities - Subsidy for Special Operation - Special Operation" - ₹18565.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹18562.11 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य" –

(II) Major Head "3053" - "General" -

(का) "सार्वजानिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एएआई को सहायता अनुदान" – ₹2016.00 लाख ।

(A) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Grant in aid to AAI for NE region" - ₹2016.00 lakhs.

(खा) "अन्य व्यय – क्षेत्रीय संपर्क स्कीम" – ₹20000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹19999.00 लाख था।

(B) "Other Expenditure - Regional Connectivity Scheme" - ₹20000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹19999.00 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5053"	Major Head "5053"				
नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	192070.00			
पू.	S.	1.00	183742.00	183683.64	-58.36
पु.	R.	-8329.00			

(I) ₹20.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹20.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "5053" – "सामान्य" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(II) Under Major Head "5053" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – नागर विमानन महानिदेशक" – ₹6325.25 लाख की बचत (₹7950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ई – जीसीए परियोजना का

(A) "Direction and Administration - Director General Civil Aviation" - savings of ₹6325.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7950.00 lakhs)

कार्यान्वयन न होने के कारण हुईं।

(खा) "अन्य व्यय – नागर विमानन सुरक्षा" – ₹2046.11 लाख की बचत (₹4100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संस्थापन और निर्माण कार्यो को पूरा न किए जाने, त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के प्रारूप को अंतिम रूप न दिए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

was due to non-implementation of e-GCA project.

(B) "Other Expenditure -Civil Aviation Security" - saving of ₹2046.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4100.00 lakhs) was due to non-completion of Installation & Construction work by Electronics Corporation of India Limited, non-finalisation of draft tri-partite Memorandum of Understanding and slow progress of ongoing works by Central Public Works Department.